न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदर सिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या — 05/2020

1. कमला पत्नि स्व0 श्री नाथू
   जाति भांबी निवासी पीसागंन तह0पीसागंन जिला अजमेर

..प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार पीसागंन
2. इन्द्रा पत्नि संतोष जाति हरिजन निवासी ग्राम कालेसरा
   तहसील पीसागंन जिला अजमेर

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956 सपठित धारा 151 व्य0प्र0सहिंता

उपस्थित :— श्री खीवराज शर्मा — अभिभाषक प्रार्थी

—: निर्णय :— दिनांक 03.11.2020

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने जरिये अभिभाषक के यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 रा0 अधिनियम 1956 का अप्रार्थीगण के विरूद्व इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम कालेसरा तहसील पीसागंन के जमाबदीं सवंत 2067–2070 के खाता संख्या 633 नया 682 पुराना के खसरा सख्यां 631, 1058, 1059, 1783 की आराजी प्रार्थीया एंव अप्रार्थीगण सख्यां 2 की 1/2 – 1/2 हिस्से संयुक्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व विभाग द्वारा नवीन जमाबदीं संवत 2071 से 2074 मुर्तिब करते समय खाता संख्या 21 में सहंवन से प्रार्थीया का नाम विलोपित कर दिया गया जिससे सम्पूर्ण हिस्से में अप्रार्थी संख्या 1 का नाम दर्ज हो गया। जिसे दुरूस्त फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थीगण को विधिवत तामील हो चुकी है बहुत अवसर के बावजूद जवाब पेश नहीं किये जाने पर जवाब बंद किया गया। प्रार्थी अभिभाषक की एकपक्षिय बहस सुनी गयी । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय होने से स्वीकार किया जाता है । **तहसीलदार पीसागंन को आदेश दिये जाते हैं कि वह ग्राम कालेसरा के वर्तमान खाता संख्या 21 में प्रार्थिया के नाम 1/2 हिस्सा का इन्द्राज किया जावे।**

निर्णय आज दिनांक 03.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.09.06 15:15:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसागंन

उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)